



प्रेस नोट - दिनांक 18.05.2026

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

## दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 17.05.2026 को वादी विशाल पुत्र धुन्नर लोधी निवासी बंदीपुरवा थाना अचलगंज उन्नाव वर्तमान पता ग्राम महारानीगंज जिला रायबरेली की तहरीर के आधार पर थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 18.05.2026 को उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त राजपाल पुत्र स्व0 गोकुल करीब उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम बंथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को बन्थर गेट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय क समक्ष पेश किया गया ।

## नाम पता अभियुक्त –

राजपाल पुत्र स्व0 गोकुल उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ग्राम बंथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार शुक्ला
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार त्रिपाठी
3. का0 आशीष तिवारी
4. का0 शिवम यादव





प्रेस नोट - दिनांक 18.05.2026

थाना कोतवाली सदर , जनपद उन्नाव ।

**वाहनो से अवैध वसूली करने वाले 03 तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार**  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा वाहनो से अवैध वसूली करने वाले 03 तथाकथित पत्रकारो को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 18.05.2026 को वादी श्री अरविन्द कुमार सोनकर उर्फ बबलू पुत्र सूरज लाल सोनकर नि० मोहल्ला छोटा गुरियाना जनपद अमेठी द्वारा थाना कोतवाली सदर पर प्रा० पत्र दिया कि मैं मैजिक सीएनजी सं०-UP 33 DT 0583 का चालक हूँ। मैं उक्त वाहन से दिनांक 17.05.2026 समय करीब रात्री 10.30 बजे इन्डारगो कम्पनी के लिए पशुओ को लेकर रायबरेली रोड से दही क्षेत्र के लिए जा रहा था तभी कानपुर से लखनऊ हाईवे पर सीएनजी पंप से करीब 100 मीटर पहले (प्रेस एवं केवल प्रेस कार्य हेतु) लिखी हुई दो मोटरसाइकिल से चार लोग दौड़ाकर मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिए मैंने मजबूरीवस गाड़ी रोका तो इन लोगो द्वारा मुझे धमकाकर कहा गया कि गाड़ी से नीचे उतरो हम लोग पत्रकार है बिना हम लोगो को पैसा दिए कोई भी जानवारों की गाड़ी यहा से पास नहीं होती है और भी सभी गाडिया हम लोगो को पैसा देकर जाती है तभी पास होती है। मुझसे इन लोगो द्वारा धमकाकर तथा मेरा व मेरी लेकर को 25000 रु देने के लिए कहा मैंने तथा मेरे साथी ने मना किया तो इन लोगो ने धमकाया। मजबूरीवस हमने अपने जान को खतरा महसूस करते हुए 10000 रूपये जिसमें 500-500 के 14 नोट तथा 10 नोट 200-200 के व 10 नोट 100-100 के थे इन लोगो ने लेकर मौके पर बाट लिया। बताये कि मेरी पत्रकारो की एक टीम है मैं स्वय प्रशान्त त्रिपाठी तथा मेरे साथ मेरी टीम के पुष्पेन्द्र यादव, आमिर व शिवप्रताप सिंह है जो निपुण भारत समाचार के नाम से है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 0289/2026 धारा 308(5)/308(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर मय हमराह पुलिस के मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 01.प्रशान्त तिवारी पुत्र बिन्दा दयाल तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी

अवस्थीखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 02. पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रामबालक उम्र 30 वर्ष निवासी पहलीखेड़ा ललऊखेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव 03. आमिर पुत्र सलीम उम्र करीब 33 वर्ष वर्ष निवासी 288 छोटा चौराहा अब्बास बाग थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया जिसमे अभियुक्त आमिर पुत्र सलीम उपराक्त के कब्जे से 2000 Rs (दो हजार रुपया), 01 अदद प्रेस की आई0डी0 व अभियुक्त प्रशान्त तिवारी व पुष्पेन्द्र यादव उपराक्त के कब्जे से 3000-3000/RS ,05 अदद प्रेस की आई0डी0 बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

### नाम पता अभियुक्तगण –

1. प्रशान्त तिवारी पुत्र बिन्दा दयाल तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी अवस्थीखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
2. पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रामबालक उम्र 30 वर्ष निवासी पहलीखेड़ा ललऊखेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
3. आमिर पुत्र सलीम उम्र करीब 33 वर्ष वर्ष निवासी 288 छोटा चौराहा अब्बास बाग थाना कोतवाली सदरजनपद उन्नाव

### पूर्व के अभियोग अभियुक्त प्रशान्त तिवारी

1. मु0अ0सं0 496/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. मु0अ0सं0 0024/2025 धारा 356(2)/79/351(2) बीएनएस थाना कोतवाली सदर उन्नाव
3. मु0अ0सं0 0025/2025 धारा 356(2)/61(2)/352 बीएनएस 67 आई0टी0 एकट थाना कोतवाली सदर उन्नाव

### पूर्व के अभियोग अभियुक्त पुष्पेन्द्र यादव

1. मु0अ0सं0 331/2017 धारा 363/366/376 भादवि ¼ पाक्सो एकट थाना महाराजपुर कानपुर नगर

## 2. गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० चन्द्र कान्त मिश्रा
2. उ०नि० अंजनी सिंह
3. का० नाशिर खान
4. रि०आ० रामजी घोसी
5. रि०का० रविकान्त

